सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं. उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारीः–रमेश देव (आर.ए.एस.)
राजस्व वाद : बाबत इस्तकरार हक व खाता तकसीम
नम्बर मुकदमा – 278/2021 निर्णय दिनांकः– 26.07.2023

1 रघुवीर सिह पुत्र सन्तोख सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया हाल आबाद 85 बीच ट्री ट्रायल ब्रहम्टन एल. 6 पी, वी 5 ओन्टारीयो, कनाडा जरिये मुखत्यार आम तारा सिह पुत्र शिव सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 रणजीत सिह पुत्र सन्तोख सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया हाल आबाद 85 बीच ट्री ट्रायल ब्रहम्टन एल. 6 पी, वी 5 ओन्टारीयो, कनाडा जरिये मुखत्यार आम तारा सिह पुत्र शिव सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सन्तोख सिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 इन्द्रजीत कौर पुत्री सन्तोख सिह जाति जटसिख सा फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

निर्णय

उक्त अनुवानी वाद पत्र वादीगण की तरफ से जरिए वकील उक्त तथ्यों के आधार पर पेश किया गया कि वादीगण व प्रति. स. 1 व 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है।जिनके परिवार की वंशावली दावा की दफा 2 में दर्ज है।वादीगण के पिता प्रति स. 1 सन्तोख सिह पुत्र करतार सिह के नाम चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 खाता सन्तोख सिह ज.स. 2072–75 तथा इसी चक के खाता स. 168/14 खाता सन्तोष सिह ज.स. 2072–75 में आराजी दर्ज राजस्व रिकार्ड है। दावा की दफा 3 में दर्ज वादग्रस्त आराजी प्रति स. 1 सन्तोख सिह पुत्र करतार सिह के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रति स. 1 के नाम दर्ज उक्त वादग्रस्त आराजी उनके

26/7
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

वारिसान वादीगण व प्रति स. 2 की जद्दी जायदाद है। जिसमें वादीगण व प्रति स. 2 का जन्म से ही अपने पिता प्रति स. 1 के साथ ब.हि.ब. का हक व हिस्सा बनता है।किन्तु प्रति स. 2 ने अपने समस्त हक व हिस्सा की आराजी का परित्याग वादीगण के पक्ष में कर दिया है। अतः उक्त आराजी में प्रति स. 2 का कोई हक व हिस्सा नही है। इसी कदर की घोषणात्मक डिग्री वादीगण प्राप्त करना चाहती है। चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 में वादीगण के पिता का नाम सन्तोष सिह दर्ज हो गया है। जबकि उसका सही नाम सन्तोख सिह है। आधार कार्ड, राशन कार्ड, व इसी चक के खाता स. 168/14 में वादीगण के पिता कानाम सन्तोख सिह ही दर्ज है। इस प्रकार यह लिपिकिय गलती है। जो काबिल दुरूस्ती है। दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का वादीगण व प्रति स. 1 ने काश्त की सुविधानुसार एवं आराजी के एकीकरण के लिए घरू विभाजन दावा की दफा 6 के अनुसार कर रखा है।वादीगण दावा की दफा 5 के मुताबिक काबिज होकर काशत करते चली आ रही है लेकिन उक्त आराजी वादीगण के नाम दर्ज नही होने के कारण वादीगण के खातेदारी अधिकारों पर बुरा प्रभाव पडता है इसलिए वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की आप हमे दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी का दावा की दफा 4 के अनुसार खातेदार काश्तकार मान लो व हमारा खाता दावा की दफा 5 के अनुसार अलग कायम करवा दो तापहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन पिछले सप्ताह वे वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकारी हो गये । बस यही विनाय दावा है।अतः चंक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 खाता सन्तोख सिह में प्रति स. 1 सन्तोख सिह के नाम दर्ज 3.542 है0 आराजी में से मे 2.530 है0 आराजी का वादी स. 1 रघुवीर सिह व 1.012 है0 आराजी का वादी स. 2 रणजीत सिह खातेदार काश्तकर है।अतः इस खाता की कुल आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 168/14 खाता सन्तोख सिह के नाम दर्ज कुल 0.632 है0 आराजी मे से 0.506 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जावे व चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर सन्तोष सिह के स्थान पर सन्तोख सिह पढा जावे।वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

उक्त वाद पेश होने पर तथा सीगेदार की रिर्पोट होने के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रति स. 1 व 2 ने जरिये अधिवक्ता जवाब सहमति का जवाब दावा पेश किया। जो शामिल मिसल है। प्रति स. 3 की ओर से जवाब स्टेट पेश किया गया जो शामिल मिसल है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 सी.पी.सी. पेश किया। जो शामिल मिसल है।

सहायक कलक्टर एव
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

बहस अभिभाषकगण सुनी गई। वादीगण अभिभाषक ने बहस मे कथन किया कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने काश्त की सुविधा को ध्यान मे रखते हुए परस्पर सहमति से घरू विभाजन वादग्रस्त आराजी का कर लिया है तथा उसी अनुसार मौका पर काश्त कर रहे है। कब्जा काश्त के संबंध मे कोई विवाद नही है, किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजी वादी के नाम से दर्ज नही होने से खातेदारी अधिकारो पर विपरित प्रभाव पड रहा है। वादीगण के वाद का कोई विरोध नही है।

बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। नकल फोटोप्रति चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 खाता सन्तोख सिह ज.स. 2072–75 तथा इसी चक के खाता स. 168/14 खाता सन्तोष सिह ज.स. 2072–75 पेश है। जो कि प्रदर्श 1 व 2 है।वादी के वाद का कोई विरोध हमारे समक्ष नही आया है। वाद पत्र का कोई विरोध नही होने से सहमती के आधार पर मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर वाद वादीगण डिक्री किया जाता है कि चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 खाता सन्तोख सिह मे प्रति स. 1 सन्तोख सिह के नाम दर्ज 3.542 है0 आराजी में से मे 2.530 है0 आराजी का वादी स. 1 रघुवीर सिह व 1.012 है0 आराजी का वादी स. 2 रणजीत सिह खातेदार काश्तकर है।अतः इस खाता की कुल आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 168/14 खाता सन्तोख सिह के नाम दर्ज कुल 0.632 है0 आराजी मे से 0.506 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जावे व चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170/139 में वादीगण के पिता का नाम दुरूस्त कर सन्तोष सिह के स्थान पर सन्तोख सिह पढा जावे।वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।

निज.........X......... मुब्लिक.........X......... बाबत.........X.........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .....X..... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2017 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिकी एंव मुकदमे ईब्तदाई
(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)
न्यायालय सहायक कलैक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1 रघुवीर सिह पुत्र सन्तोख सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया हाल आबाद 85 ब्रीच ट्री ट्रायल ब्रहम्टन एल. 6 पी, वी 5 ओन्टारीयो, कनाडा जरिये मुखत्यार आम तारा सिह पुत्र शिव सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 रणजीत सिह पुत्र सन्तोख सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया हाल आबाद 85 ब्रीच ट्री ट्रायल ब्रहम्टन एल. 6 पी, वी 5 ओन्टारीयो, कनाडा जरिये मुखत्यार आम तारा सिह पुत्र शिव सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– वादीगण

बनाम

1 सन्तोख सिह पुत्र करतार सिह जाति जटसिख सा. फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

2 इन्द्रजीत कौर पुत्री सन्तोख सिह जाति जटसिख सा फतेहपुर तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

3 तहसीलदार राजस्व संगरिया तह. संगरिया जिला हनुमानगढ

– प्रतिवादीगण

उपस्थित
श्री नक्षत्र सिह सिद्धू – अधिवक्ता वादीगण
श्री गुरमीत सिह कलसी – अधिवक्ता प्रति स. 1 व 2

मु. स . 278 / 2021 दावा अर्न्तगत धारा 88 / 53 आर.टी.ए.

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्र सिह सिद्धू एड. वादीगण व श्री गुरमीत सिह कलसी एड. प्रति स. 1 व 2 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वाद वादीगण डिकी किया जाता है कि चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170 / 139 खाता सन्तोख सिह में प्रति स. 1 सन्तोख सिह के नाम दर्ज 3.542 है0 आराजी में से मे 2.530 है0 आराजी का वादी स. 1 रघुवीर सिह व 1.012 है0 आराजी का वादी स. 2 रणजीत सिह खातेदार काश्तकर है।अतः इस खाता की कुल आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जाकर उक्त खाता से प्रति स. 1 का नाम कलमजन किया जावे। व इसी चक के खाता स. 168 / 14 खाता सन्तोख सिह के नाम दर्ज कुल 0.632 है0 आराजी मे से 0:506 है0 आराजी के वादीगण ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। अतः उक्त खाता से प्रति स. 1 का हिस्सा कम किया जाकर उक्त आराजी उक्तानुसार वादीगण के नाम दर्ज की जावे व चक 20 एफ.टी.पी. खाता स. 170 / 139 में वादीगण के

26/7
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

पिता का नाम दुरूस्त कर सन्तोष सिह के स्थान पर सन्तोख सिह पढ़ा जावे।वादीगण का खाता दावा की दफा 6 के अनुसार अलग अलग कायम किया जाकर इसी मुताबिक रकमराज अलग कायम की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे ।दावा की दफा 6 निम्न प्रकार से है:–

(क) वादी स. 1 व 2 रघुवीर सिह, रणजीत सिह पि.सन्तोख सिह का हिस्सा :–

चक 20 एफ.टी.पी.

163 / 253 32 15–16–25 / .215 प्र. गै.मु. / .114 है. = 0.759 है0

164 / 253 31 19–20 / .253प्र. 21–22–23 / .215प्र. गै.मु. / .114 = 1.265 है.

164 / 253 31 11–12 / .253प्र. = 0.506 है0

(ख) वादी स. 1 रघुवीर सिह पुत्र सन्तोख सिह का हिस्सा:–

चक 20 एफ.टी.पी.

164 / 253 31 15–16–17–18 / .253प्र 24–25 / .215प्र गै.मु / .076 = 1.518 है0

निज.........X.......... मुब्लिक.........X......... बाबत.........X..........खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फिसदी सालाना आज की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... को अदा करें।

बसबत मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 26.07.2023 को जारी की गई।

नोटः– यदि हक हिस्सा प्रभावित नही हो तो ऋणी काश्तकार के अलावा डिक्रीत दावे के अन्य पक्षकारो का अमल दरामद कर दिया जावे।

26/7/23

(रमेश देव)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official